

Seventeenth Series, Vol. XXV No.07

Friday, July 28, 2023
Sravana 06, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 07, Friday, July 28, 2023/ Sravana 06, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 121	8-9
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 122 to 140	10-102
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	103-730

PAPERS LAID ON THE TABLE 731-737

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND**

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 738

**COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER
BACKWARD CLASSES**

20th and 21st Reports 739

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

23rd Report 740

STATEMENTS BY MINISTER 741-742

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, MES, ECHS and Sainik Schools (Demand Nos. 20 and 21) pertaining to the Ministry of Defence 741

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence 741

- (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 & 21) pertaining to the Ministry of Defence.

Adv. Ajay Bhatt

742

BUSINESS OF THE HOUSE

743-745

**INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT
(AMENDMENT) BILL, 2023**

746

MATTERS UNDER RULE 377

747-759

- (i) Need to expedite the construction of Bihta International Airport in Bihar

Shri Ram Kripal Yadav

747-748

- (ii) Need to start construction of AIIMS in Darbhanga district of Bihar

Shri Gopal Jee Thakur

749

- (iii) Regarding construction of a bridge to connect Chatham Island and Bamboo Flat Island in the Andaman and Nicobar Islands

Shri Kuldeep Rai Sharma

750

- (iv) Need to introduce subsidies in rubber industry in Idukki Parliamentary Constituency

Adv. Dean Kuriakose

751

(v)	Need to replace the existing National Exit Test (NExT) Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	752
(vi)	Need to connect all competitive examinations for recruitment in government services by union recruitment agencies and give priority to local people Dr. Pon Gautham Sigamani	753
(vii)	Regarding construction of ROB/RUB on priority basis in Machilipatanam Parliamentary Constituency Shri Balashowry Vallabhaneni	754
(viii)	Regarding introduction of AC local train services at Badlapur, Ambernath and Dombivli Railway Stations Dr. Shrikant Eknath Shinde	755
(ix)	Need to start train services in Koshi and border area of Bihar Shri Dileshwar Kamait	756
(x)	Need to implement appropriate policies to provide coverage and support for mental well being of people and to revisit the Acts related to mental health Shri Syed Imtiaz Jaleel	757-758
(xi)	Need to restart Passport Seva Kendra at Kottayam Shri Thomas Chazhikadan	759
MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023		760-779
	Motion to Consider	760
	Shri Pralhad Joshi	760, 764-773

Shri Sunil Kumar Singh	760-762
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	763-764
Clauses 2 to 21 and 1	774-779
Motion to Pass	779
NATIONAL NURSING AND MIDWIFERY COMMISSION BILL, 2023	780-782
Motion to Consider	780
Shri Mansukh Mandaviya	780-781
Clauses 2 to 57 and 1	782
Motion to Pass	782
NATIONAL DENTAL COMMISSION BILL, 2023	782-783
Motion to Consider	782
Shri Mansukh Mandaviya	783
Clauses 2 to 59 and 1	783
Motion to Pass	783
* <u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	767
Member-wise Index to Unstarred Questions	768-774
* <u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	775
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	776

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 28, 2023/ Sravana 06, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION**(Q. 121)****माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न काल, क्वेश्चन नम्बर 121

एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न काल चलना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? प्रश्न काल सभी के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है, मैंने सभी दलों की बैठक में भी कहा था और फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? यह प्रश्न काल आपका है, सरकार की जवाबदेही होती है। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। सदन नियम-कानून से चलता है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष हैं, हमारी भी कुछ मांग होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वर्ष 1978 में 10 मई को इसी सदन में विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था और उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज ऐसे क्यों देर हो रही है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप प्रश्न काल प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जो अनुरोध किया है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Shri T. N. Prathapan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार दस दिन का समय है, आप जब भी डिसाइड करेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना अविश्वास है ... (व्यवधान) सरकार के पास नम्बर है। अगर वह ऐसा समझते हैं तो उन्हें तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो। हमारा बिल निरस्त करने दो तो ऑटोमेटिकली सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 122 to 140

Unstarred Question Nos. 1381 to 1610)

(Page No. 10 to 730)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.03½ hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

The ruling has already been given.

... (व्यवधान)

12.01 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Dr. Amar Singh, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

12.01½ hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM

(SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.178(E) in Gazette of India dated 13th March, 2023, under Section 51 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9734/17/23]

- (3) A copy of the Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated April 6th, 2023 notifying amendment to Statute 7(1), Ordinance No. 02 of 2020 and Ordinance No. 04 of 2019 relating to Indian Maritime University, under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 9735/17/23]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Gautambudh Nagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Gautambudh Nagar, for the year 2021-2022.

- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9736/17/23]

... (Interruptions)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के

अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9737/17/23]

- (2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सरोगेसी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 8 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.415(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9738/17/23]

- (3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम,

2023, जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9739/17/23]

... (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 11 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2165(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9740/17/23]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9741/17/23]

- (ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9742/17/23]

- (4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9743/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the

year 2021-2022.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9744/17/23]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF

AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the year 2021-2022.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9745/17/23]

... (*Interruptions*)

12.02 hrs

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Cinematograph (Amendment) Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th July, 2023.”

2. Sir, I lay on the Table the Cinematograph (Amendment) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha on the 27th July, 2023.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table

12.02½hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER
BACKWARD CLASSES

20th and 21st Reports

SHRI RAJESH VERMA (SITAPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Welfare of Other Backward Classes:-

(1) Twentieth Report of the Committee (2022-23) on the subject 'Measures undertaken to secure representation of OBCs in employment and for their welfare in Madras Fertilizers Limited (MFL), Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) and Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT)' pertaining to Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(2) Twenty-First Report of the Committee (2022-23) on the subject 'Measures undertaken to secure representation of OBCs in employment and for their welfare in Employees' State Insurance Corporation (ESIC)' pertaining to Ministry Labour and Employment.

... (*Interruptions*)

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

23rd Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twenty-third Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixteenth Report on the subject 'India's Soft Power and Cultural Diplomacy: Prospects & Limitations'

... (*Interruptions*)

12.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, MES, ECHS and Sainik Schools (Demand Nos. 20 and 21) pertaining to the Ministry of Defence *

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एमईएस, ईसीएचएस और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और वैवाहिक आवास परियोजना (मांग सं. 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9745A/17/23 and LT 9745B/17/23 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23) on Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 & 21) pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट):
माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नये डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

... (Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9745C/17/23 respectively.

12.05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 31st of July, 2023 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains: - Consideration and passing of the following Bills:- (i) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023; (ii) The National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023; and (iii) The National Dental Commission Bill, 2023] ... (*Interruptions*)
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 (No. 1 of 2023) promulgated by the President of India on the 19th of May, 2023 and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. ... (*Interruptions*)
3. Consideration and Passing of the following Bills:-
 - (i) The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2023;

- (ii) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023;
 - (iii) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023;
 - (iv) The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023;
 - (v) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023;
 - (vi) The Inter-services Organisation (Command, Control and Discipline) Bill, 2023;
 - (vii) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023; and
 - (viii) The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. ... (*Interruptions*)
4. Consideration and passing of the Cinematograph (Amendment) Bill, 2023, *as passed by Rajya Sabha*. ... (*Interruptions*)
5. Consideration and passing of the Mediation Bill, 2021, *after it is passed by Rajya Sabha*. ... (*Interruptions*)
6. Consideration and passing of the following Bills, *after they are introduced, considered and passed by Rajya Sabha*:-
- (i) The Advocates (Amendment) Bill, 2023; and
 - (ii) The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 ... (*Interruptions*)

7. Consideration and passing of the Indian Institutes of Management
(Amendment) Bill, 2023 *after its introduction. ... (Interruptions)*

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 12, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ।

... (व्यवधान)

12.07hrs

**INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT
(AMENDMENT) BILL, 2023 ***

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, first, No Confidence Motion on Manipur... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ। ... (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 28.07.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

12.08 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

**(i) Need to expedite the construction of
Bihta International Airport in Bihar**

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफी दिन पूर्व दी गयी है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है। अधिगृहित जमीन की बाउंडरी भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। केन्द्र सरकार से स्वीकृत बिटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एन.एच. संख्या 30 पटना-बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा- सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का हिस्सा भी है, उसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बिहटा में IIIT, नाइलेट, ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, NIT, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, ड्राई पोर्ट एवं कई आद्यौगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यरत है या निर्माणाधीन है। राजधानी पटना का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है। उसके अलावा एन. एच. संख्या 30 पटना-बक्सर, बिहटा- सरमेरा, रामनगरकन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा

* Treated as laid on the Table

औरंगाबाद, एयरपोर्ट से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सरल, सुगम और तेज संपर्कता प्राप्त होगी। उपरोक्त वर्णित बातों से स्वतः स्पष्ट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वांछित अहर्ताएं बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

अतः माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु द्रुत कार्रवाई की जाए।

**(ii) Need to start construction of AIIMS in
Darbhanga district of Bihar**

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मिथिला एवं उत्तर बिहार का प्रमुख शहर दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स का निर्माण 1264 करोड़ की लागत से होना सुनिश्चित हुआ है तथा जिसके लिए 15 सितंबर 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यहां तक कि भारत सरकार ने डायरेक्टर की भी नियुक्ति कर दी है ताकि एम्स का निर्माण तीव्रगति से हो सके, परंतु बिहार सरकार की दरभंगा एम्स के प्रति उदासीनता एवं अटकाने, लटकाने और भटकाने की नीति के कारण आज तक दरभंगा एम्स का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स को डी. एम. सी. एच. परिसर में 200 एकड़ भूमि कैबिनेट से पास करके भारत सरकार को भेज दिया तथा जहाँ एम्स निर्माण से संबंधित मिट्टीकरण, भूमि का समतलीकरण और पुराने भवनों को हटाने का कार्य अंतिम चरण में था, तब अचानक बिहार सरकार ने अपने ही कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए बागमती नदी के किनारे शोभन में देने की बात की जो भूमि एम्स हेतु उपयुक्त नहीं थी तथा जिसकी पुष्टि जदयू सांसदों का लिखा पत्र और कांग्रेस एमएलसी का विधान परिषद में दिया गया वक्तव्य भी करता है। बाद में तकनीकी टीम ने भी उक्त भूमि को एम्स के लिए उपयुक्त नहीं माना। यह आम जनता के स्वास्थ्य एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है। अतः इसका निर्माण तय समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है ताकि इसका लाभ करोड़ों मिथिलावासियों को मिल सके। लेकिन अफसोस बिहार सरकार की मिथिलावासियों के प्रति दुर्भावना और नफरत के कारण दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य आजतक प्रारंभ नहीं हो सका है।

(iii) Regarding construction of a bridge to connect Chatham Island and Bamboo Flat Island in the Andaman and Nicobar Islands

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): The Chatham-Bamboo Flat Bridge-Andaman and Nicobar Islands involves the construction of a 1.6km bridge worth Rs. 2,000 Crore to connect Chatham Island and Bamboo Flat Island in the Andaman and Nicobar Islands which belong to Port Blair group of islands. At present, people need to travel about 48 kms to reach from one point to other through land. The construction of a bridge will bring the two regions closer. The task for implementing it has been given to National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd. The ground works for the proposed Chatham-Bamboo Flat Bridge was on halt during the corona pandemic which affected the progress of DPR preparation. The delay in the construction of the Chatham-Bamboo flat Bridge are causing great concern among the residents of Andaman and Nicobar Islands. The Draft DPR has been forwarded to HQ, NHIDCL on 25.02.2023, which is under examination for obtaining sanction from the Ministry of Road Transport and Highways. I request the Government to intervene and pass necessary orders to speed up the construction of this bridge which will bring a sea change for enabling convenient vehicular traffic movement from a major part of the South Andaman region to Port Blair City and reduce the travel time for the commuters from several villages.

**(iv) Need to introduce subsidies in rubber industry in
Idukki Parliamentary Constituency**

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Rubber has emerged as a dominant cash crop in many regions in the country, especially in the high-range of Kerala. This is a very important economic factor in the lives of many people who live in my constituency, Idukki. However, many policies of the Government as well as international market situations have led to a fall in the rubber prices in the past. This has severe implications in the long-term growth of our country. This is because Rubber is a very important ingredient in many consumer products and also Industrial process. If rubber cultivation is not remunerative, many farmers will be forced to shift their cultivation away from it. This will lead to severe shortages in domestic market and also an unhealthy dependence on foreign economies. Hence, the policy of low import duties to rubber imported from abroad is actually not in the interest of the country. The Government should introduce subsidies so that price of rubber is raised to INR 300 per kilogram in the domestic market and also import duties must be adjusted to achieve this price. I urge upon the Government to do the needful so that this price is achieved at the earliest.

(v) Need to replace the existing National Exit Test (NExT)

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The National Exit Test (NExT) has been clouded by conflicting claims from the National Medical Commission (NMC). Confusion continues to engulf the students. According to NMC's announcement, the test will be held for the 2019 batch of students. A mock exam was announced with no previous notice, almost as though the test was foisted on the students. NExT, as an exam, is solely based on multiple choice questions (MCQs). When studying for the exam, students will have to concentrate solely on the MCQ format and not on clinical knowledge. The present university curriculum assesses both practical and academic knowledge. Furthermore, students will also have to seek independent NExT tutoring, which will burden the students further more. The students of various government medical colleges in Thanjavur, Chennai, Thiruvarur and Trichy had staged a demonstration in July beginning, demanding withdrawal of the same. The government of Tamil Nadu has consistently opposed the implementation of NEET for UG and PG medical seats and adding one more exam is absolutely unnecessary and untenable. In this light, I urge the Union Government to place a ban on the National Exit Test and defer from introducing any such exams in the future.

(vi) Need to connect all competitive examinations for recruitment in government services by union recruitment agencies and give priority to local people

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): Tamil Nadu has more human resources with comparatively higher knowledge and skill set both in technical and academics areas and they can be utilised well. Priority in appointment in Union Government offices and Central Public Sector Undertakings in Tamil Nadu to people from the State may be given to ensure adequate opportunities to native Tamils. The annual report of the Staff Selection Commission has clearly indicated that the number of qualified candidates from the Southern Region is only 4.5% of 28,081 total qualified people. Similarly, most of the people selected for various posts in the Southern Region are not from Tamil Nadu. This causes huge disappointment among the unemployed youth and which also causes a lot of concern among socio political circles. I urge that a system should be facilitated for conducting all examinations by the union recruitment agencies.

**(vii) Regarding construction of ROB/RUB on priority basis in
Machilipatanam Parliamentary Constituency**

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): There are 34 railway gates between my Parliamentary Constituency i.e., Machilipatnam and Vijayawada in Andhra Pradesh which needs to be taken up for construction of either Rail Over Bridge (ROB) or Rail Under Bridge (RUB) whichever is feasible on priority basis. These gates are: 1. Machilipatnam to Chilakalapudi-5 gates 2. Chilakalapudi to Pedana- 2 gates 3. Pedana to Vadlamannadu- 2 gates 4. Vadlamannadu to Kavatram- 2 gates 5. Kavatram to Gudlavalleru- 1 gates 6. Gudlavalleru to Nujella- 1 gates 7. Nujella to Gudiwada - 2 gates 8. Gudiwada to Dosapadu - 6 gates 9. Dosapadu to Ventrpragada - 2 gates 10. Ventrpragada to Indupalli -2 gates 11. Indupalli to Tarigoppula 1 gates 12. Tarigoppula to Tennuru - 2 - gates 13. Tennuru to Uppaluru - 1 gate 14. Uppaluru to Nidamanuru - 3 gates 15. Nidamanuru to Ramavarapadu - 2 gates. I appeal to Hon'ble Minister of Railways to get feasibility reports for these gates and take up construction of ROBS/RUBS at these gates on priority basis please.

**(viii) Regarding introduction of AC local train services at
Badlapur, Ambernath and Dombivli Railway Stations**

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): AC local train passengers on Central Railway and Western Railway have been growing exponentially but are still low compared to the overall passenger count owing to the lack of more trains and other related factors. Passenger numbers have increased by 228 per cent on CR and 309 per cent on WR compared to May 2022. However, the daily average number of passengers using AC locals is still close to about 2 lakh, compared to the nearly 75 lakh passengers a day on the full suburban section. I represent the Kalyan Lok Sabha Constituency where Railways is the lifeline for the commuters and there has been an increase in demand for AC local trains from the passengers. In the past, new AC locals, including those from Badlapur were introduced in August 2022 but were subsequently withdrawn. The demand for AC local from stations like Badlapur, Ambernath and Dombivli is increasing and there is an urgent need to restart the AC Local operations on this route. I request the Government to kindly intervene and examine the feasibility of introducing AC local train services at stations like Badlapur, Ambernath and Dombivli between 8.00 am and 8.30 am which will benefit maximum commuters.

(ix) Need to start train services in Koshi and border area of Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): 1934 के विनाशकारी भूकंप की वजह से तथा 2008 की विनाशक बाढ़ से बिहार के कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की कई रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी थी। उसी समय की क्षतिग्रस्त रेल लाइन, पूर्व मध्य रेलवे के प्रतापगंज से भीमनगर 57 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त रेल खंड का सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। साथ ही बिहारीगंज और बीरपुर के बीच नई रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। परन्तु अत्यंत धीमी गति से सर्वेक्षण तथा अन्य कार्य होने की वजह से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। निजी यात्री सड़क वाहन के मालिकों के द्वारा मनमानी किराया वसूली से क्षेत्र की जनता काफी त्रस्त है। रेलवे के सिवा यात्री सुविधा के लिए और कोई विकल्प नहीं है। कृपया उक्त रेल खंड पर सामरिक दृष्टिकोण से जनहित में यथाशीघ्र रेल गाड़ियों के परिचालन का शुभारम्भ किया जाय।

(x) Need to implement appropriate policies to provide coverage and support for mental well-being of people and to revisit the Acts related to mental health

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): I draw the attention of the Government towards the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Act 2021 and its implications on Clinical Psychologists. The Act aims to provide regulatory bodies for various healthcare professionals, except Clinical Psychologists, who remain under the purview of the Rehabilitation Council of India (RCI) through the Mental Health Act 2017. This raises the question of why Clinical Psychologists have been excluded, infringing upon their right to equality. I urge the Government to revisit the Acts related to mental health and make necessary amendments to ensure comprehensive care, defining temporary mental health conditions, and safeguarding patient rights. A study of the existing mental health laws, spectrum of mental healthcare, and patient protection for undefined conditions is essential to address this issue adequately. Once the Acts are amended, non-disabling or temporary mental health care and therapy should be included in insurance policies with support from the Finance Ministry. With the rising prevalence of mental health issues, it is crucial to implement appropriate policies to provide coverage and support for mental well-being services. I seek clarity on the Government's policy regarding insurance coverage for mental health services and its commitment to the inclusion of such services in the existing insurance

packages. The holistic well-being of our citizens must be a priority, and by addressing these concerns, we can take significant steps towards building a mentally healthier society. I implore the Government to act swiftly and diligently in this regard, promoting mental health care and its related services.

(xi) Need to restart Passport Seva Kendra at Kottayam

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): The functioning of Passport Seva Kendra (PSK) Kottayam was suspended temporarily on February 16, 2023 due to technical and functional reasons. On writing to the Hon'ble Minister of External Affairs about it, I was informed that the building in which the PSK was being run was not in conformity with the safety standards. The appointments of applicants for PSK Kottayam have been diverted to PSK Allapuzha (47 kms), PSK Aluva (77 kms) and PSK Tripunithura (54 kms). It is causing great inconvenience to the applicants especially from district Kottayam. The Hon'ble Minister had given the assurance that the RPO Cochin and service provider are looking for an alternate location for the PSK Kottayam. However, even after around five months, there is no clarity on alternate location for the PSK yet. Through this submission, I would, therefore, request the Hon'ble Minister to consider making the arrangements for restarting PSK at Kottayam at the earliest by speeding up the process so that inconvenience caused to the applicants can be avoided.

12.09 hrs

**MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023**

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 14, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023.

माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.” ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.”

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री सुनील कुमार सिंह जी ।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।... (व्यवधान) भारत में खनिजों की खोज और खनन एक लंबे समय से जटिल समस्या से बाधित रही है। परंतु

इस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, 2020 और 2021 में अनेकों संशोधन हुए हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। आप इसमें भाग लीजिए और इसको सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं। कृपया चेयर को सहयोग करिए। यह आपका सदन है।

... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदय, प्रस्तावित संशोधन से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने...(व्यवधान) निर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता कम करने और स्ट्रेटिजिक रूप से इंडस्ट्रीज़ की प्रगति के लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें भारत के अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैट्रीज़ इत्यादि क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बन सकेगा। इस दृष्टि से यह संशोधन किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसके माध्यम से सरकार ने छः खनिजों को तय सूची से हटाने का सुझाव दिया है, ताकि उनको परमाणु सूची से बाहर कर इन संशोधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से खनन और खनिज पदार्थों के उत्पादन में तेजी आए। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार को इसको रिलीज करने का लाभ मिलेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे क्षेत्रीय, वायुमंडलीय, जियोग्राफिकल, भार सूचक सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक मैपिंग, पीटिंग, ट्रेचिंग, ड्रिलिंग और भूतल से उत्खनन में सुविधा होगी। यह विधेयक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा।...(व्यवधान) अतः हम यह सकते हैं कि इस संशोधन से खनिज और माइनिंग के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।...(व्यवधान)

महोदय, देशी अन्वेषण और माइनिंग को प्रोत्साहित करके भारत की आयात पर जो निर्भरता है, उसको कम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है, हम उसको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके माध्यम से कंपनियों को अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाएगा और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, वे हर्डल्स भी समाप्त होंगे।... (व्यवधान)

महोदय, इन संशोधनों के माध्यम से राजस्व साझेदारी व्यवस्था में विशेषकर माइनिंग कंपनियों को फायदा होगा, जिनसे वह खनिज के क्षेत्र में खोजकर राजस्व कमा सकती हैं। कुछ खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बनाने के संशोधन केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खनिज कंपनियों को कंसेशन देने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह भारत की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बनाने में सफल होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पूरे सदन से ऐसी आशा करता हूँ कि हम सब सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आपने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हो गया है। उस पर चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर व्यवस्था देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दूसरा, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसके ऊपर व्यवस्था दी जा चुकी है। उस व्यवस्था के प्रश्न को बार-बार उठाए जाने का कोई अर्थ नहीं है। जब चेयर से व्यवस्था दी जा चुकी है, तो कृपा करके उसका सम्मान कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी जी ।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I would like to highlight issues relating to the Indian mining industry. I would also urge the hon. Minister to note down the issues being raised during the debate. ... (*Interruptions*)

On the issue of the reservation of iron ore in AP in favour of Agricultural Produce Market Committee (APMC), I would like to inform the Government that the Andhra Pradesh Government established YSR Steel Corporation Limited for the development and operation of a new steel plant in Kadapa district. ... (*Interruptions*)

The steel plant will have a capacity of up to three million tonnes per annum and will focus on producing high-grade steel products. The steel plant aims to create sustainable employment and livelihood opportunities for the people of the Rayalaseema region. ... (*Interruptions*)

On reservation of Beach Sand Mineral areas in favour of A.P. Mineral Development Corporation Limited (APMDC), I would like to state that the Andhra Pradesh (AP) Government has proposed the reservation of 16 Beach Sand mineral (BSM) bearing areas covering 16,604 hectares in favour of APMDC. ... (*Interruptions*) Currently, clearance for 14 mineral-bearing areas is pending with the Department of Atomic Energy. The AP Government plans to develop an Integrated Beach Sand Minerals Project with downstream plants for value-added products to utilise these minerals. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you, hon. Member.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, you please conclude.

... (Interruptions)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Sir, coming to lithium reserves discovery in India, the Geological Survey of India has, for the first time, established lithium inferred resources (G3) of 5.9 million tonnes in the Salal-Haimana area of the Union Territory of Jammu and Kashmir. ... (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। यह एक तरफ गेम चेंजर भी हो सकता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब मैं वर्ष 2020-21 में इस बिल को लेकर आया था तो उस समय भी यही स्थिति थी। उस टाइम भी यह बिल डिन में पारित करना पड़ा था। उस समय भी उस तरफ के कुछ लोगों ने बिल का विरोध किया था। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2015 और 2020-21 के बाद और इसमें अमेंडमेंट के बाद 276 ब्लॉक्स ऑक्शन हो गए हैं। इसमें वर्ष 2021 से 2023 तक लगभग दो वर्ष में 168 ब्लॉक्स ऑक्शन हुए हैं। ... (व्यवधान) इसका अर्थ यही है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हम हर क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। फॉरेन अफेयर से लेकर बायो टेक्नोलॉजी तक और खनिज क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र तक हम जो कुछ भी बदलाव ला रहे हैं, वह देश के हित में है, देश में बदलाव दिख रहा है और देश का डेवलपमेंट दिख रहा है। There is a visible change. ... (व्यवधान)

वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था फाइव प्रेजाइल की लिस्ट में थी, भारत फाइव प्रेजाइल इकोनॉमी की लिस्ट में था। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिफ्थ लार्जस्ट इकोनॉमी बना है। Today, we are the fifth largest economy in the world. यही कारण है कि स्वच्छ मन से, with a clear vision and clear mind, हम जो कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, उसमें हमने फलाने को, चाचा, मामा और भाई-भतीजे को लाभ देने का कभी भी नहीं सोचा, लेकिन हमने देश के हित में सोचा। ... (व्यवधान) इनके कालखण्ड में कोयले का अलॉटमेंट होता था तो इनके एक

एमपी को सजा घोषित हुई, जो जेल जाने की कगार पर हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत जो प्रगति कर रहा है, उसमें हम कोयले के क्षेत्र में भी इतना बड़ा बदलाव लाए हैं।... (व्यवधान) इनके कालखण्ड में कोयले के क्षेत्र में केवल 567 मिलियन टन उत्पादन होता था। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष 1000 मिलियन टन, यानी एक बिलियन टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करके हम इस देश के एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। यह सब देखते हुए, आपने मुझे सूचना दी है कि जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे बहुत बोलना था। ... (व्यवधान)

जो कुछ भी बदलाव इस देश में हुए हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हिकल की बात कर रहे हैं, लीथियम की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम पहले कोयला सिर्फ इम्पोर्ट करने के बारे में बात करते थे, आज हम इतना कोयले का उत्पादन कर रहे हैं कि आने वाले एकाध वर्ष में, वर्ष 2025-26 तक थर्मल कोयले का इम्पोर्ट बन्द करने का निर्णय करके हम आगे बढ़ रहे हैं।... (व्यवधान) ये सब मन में रखते हुए, हम जो बदलाव लेकर आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें हम तीन बदलाव लेकर आए हैं।... (व्यवधान) पहले हम कम्पोजिट लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस देते थे। ... (व्यवधान) आज हमने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का एक प्रावधान इसमें रखा है। ... (व्यवधान) एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि पूरी दुनिया में जूनियर माइनर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं और माइनिंग कंपनीज इसकी माइनिंग करती हैं। ... (व्यवधान) हमारे देश में यह प्रावधान नहीं था। ... (व्यवधान) हमने इसमें यह प्रावधान रखा है कि हम एमएल, सीएल के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का भी प्रावधान करें, जो ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के रूट से होगा।... (व्यवधान) उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग का प्रावधान है, वह भी पूरा का पूरा ऑक्शन के रूट से होगा। ... (व्यवधान) इनकी तरह, जैसे इन लोगों ने डिस्क्रिशनरी रूट लेकर एलॉटमेंट करके, इनके एमपीज और कई अधिकारियों को इन लोगों के कारनामों के कारण जेल में भेजना पड़ रहा है।... (व्यवधान) ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं।... (व्यवधान) हम अभी पोटाश का भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और पोटाश की माइनिंग भी

होगी। ... (व्यवधान) इसी के साथ, बाकी डिटेल्स मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ।... (व्यवधान) मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स में 12 मिनरल्स थे, उनमें से लीथियम सहित 6 मिनरल्स को हम उस लिस्ट से हटा रहे हैं, क्योंकि उनका नॉन-एटॉमिक एप्लीकेशन ज्यादा है। ... (व्यवधान) इसलिए हम उन 6 मिनरल्स को हटाकर, 18 मिनरल्स, जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स हैं, उनको हम इसके पार्ट-डी में ला रहे हैं। जिन मिनरल्स को हम पार्ट-डी में ला रहे हैं, उनकी ऑक्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। ... (व्यवधान) उसकी माइनिंग लीज और कन्सेशन राज्य सरकार देगी। ... (व्यवधान) ऑक्शन का बोझ हम उठाएंगे। ... (व्यवधान) The responsibility of auction will be taken by us whereas the entire revenue will go to the States. This is the approach of the Modi Government ... (Interruptions) पहले क्या होता था ? ... (व्यवधान) एलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दी जाती थी। प्रीमियम कराकर, ऑक्शन कराकर इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू सिर्फ 5000 करोड़ रुपये था, आज यह बढ़कर 49,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह मैं आपको सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) यह बदलाव हुआ है। ... (व्यवधान) मैंने तीन क्षेत्रों के बारे में बताया है – एक, हम एटॉमिक मिनरल्स से 6 मिनरल्स निकाल रहे हैं। हम पूरे 24 मिनरल्स को क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स की कैटेगरी में डालकर ग्रुप-डी में ऑक्शन कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसका रेवेन्यू स्टेट को मिल रहा है। ... (व्यवधान) यही कहते हुए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें हमने Beach sand minerals को इनक्लूड नहीं किया है।... (व्यवधान) Beach sand minerals पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होगा।... (व्यवधान) इसके लिए हमारे माननीय मंत्री मुरलीधरन जी, जो केरल से आते हैं और प्रेमचन्द्रन जी ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को हमने स्वीकार कर लिया है। ... (व्यवधान) Beach sand minerals को हमने इससे बाहर रखा है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसी के साथ, मैं इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करते हुए, अपनी बाकी स्पीच सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

* हमारी इस मातृभूमि में बहुत सारी मात्रा में खनिज संपत्ति है। इसको हम रत्न गर्भ वसुंधरा बोलते हैं।

• पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इस प्राकृतिक संपत्ति और संसाधनों को बाहर निकालने का उपाय करना यह एक चैलेंज भी है और आवश्यकता भी है।

• जैसा आप सब जानते हो माइनिंग से हमारा इकोनामी भी बढ़ती है और रोजगार भी मिलता है। माइनिंग सेक्टर की एक डायरेक्ट जॉब 10 इन्डायरेक्ट जॉब पैदा करती है।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इस को तीसरे स्थान में लाने का लक्ष्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है।

• इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ हमको ट्रांसपोर्टेशन में भी EV से बहुत बदलाव लाना है।

• यह सब करने के लिए देश में जो मिनरल है उसको sustainable way में खनन करना है और उपयोग भी करना है।

• भारत में डिमांड एंड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा रहने के कारण जो खदान का एलॉटमेंट करते हैं वह भी पारदर्शिता के साथ करना है।

• पहले की सरकार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी रखते हुए discretionary allotment route से मनमाने तरह से अलॉटमेंट किया जाता था। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। CVC की रिपोर्ट आई, CBI केस हुए। कई लोग जाकर कोर्ट की कटघरे में खड़े हुए।

• अंत में इसका परिणाम प्रोडक्शन के ऊपर भी हुआ।

• जो मिनरल संसाधन हमारे पास है, उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है।

..... This part of the Speech was laid on the Table

- यह सब ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में auction-only regime हमने अपनाया।
- कोयले के ब्लॉक और अन्य मिनरल्स ब्लॉक में भी यह सिस्टम हमने शुरू किया।
- 2014 से पहले मिनरल सेक्टर की प्रगति भी negligible थी, स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कम मिल पाता था, उस समय सिर्फ रॉयल्टी थी।
- Auction regime के कारण states को प्रीमियम मिलना शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में उनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ।
- अभी तक 276 मिनरल ब्लॉक auction हो गए हैं।
- हम 2021 में भी MMDR Act amend करने का प्रस्ताव लाए थे तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। लेकिन मुझे इस सदन को बताने में बहुत ही हर्ष की प्राप्ति हो रही है की 2021 के अमेंडमेंट के बाद सिर्फ पिछले 2 सालों में 168 मिनरल ब्लॉक का auction हुआ है (61%)।
- उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में उनका रेवेन्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा राज्य का माइनिंग रेवेन्यू साल 2015-16 में 5798 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2021-22 में 49,858 करोड़ रुपए हो गया है, यह 8 गुना की वृद्धि है। इसी प्रकार से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी रेवेन्यू में काफी सुधार आया है।
- हम इस बात को नहीं नकारते हैं की माइनिंग का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है उस से निपटने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) की स्थापना की। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि अब तक इस फंड में 77,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है।
- मोदी जी के आने से पहले हमारे देश में OGP 5.7 Lakh Sq Km ही था। इसलिए हमने NMET की स्थापना की और मिनरल एक्सप्लोरेशन पर हमारे बल देने के कारण OGP अब बढ़कर 6.88 Lakh Sq Km हो गया है। आज के दिन हम 30% एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं।

- जैसे पहले कहा गया है कि बड़ी मात्रा में हमने Geological Reports राज्यों को हैंड ओवर किया है। पिछले 1 वर्ष में हमने 250 से अधिक Geological Reports राज्यों को सौंपी है।
- इसका परिणाम यह रहा है कि हमारा OGP 10% से बढ़कर 30% हो गया है। यह सब मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है।
- इसका और एक पॉजिटिव परिणाम यह रहा है कि Iron ore प्रोडक्शन 258 MT हो गया है। आपके कालखंड में जो ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चलता था मोदी जी के इन 9 सालों में कोयला प्रोडक्शन में 47% वृद्धि हुई है और इस वर्ष पहली बार इस देश में हम 1000 MT i.e. 1 BT प्रोडक्शन को exceed कर रहे हैं। इसका लाभ भी राज्यों को मिल रहा है। बड़ी मात्रा में जैसे मैंने पहले कहा, रेवेन्यू भी बढ़ा है।
- आपके कालखंड में भ्रष्टाचार करके ही MPs को भी जेल की सजा घोषित हुई है। मोदीजी के कालखंड में, पारदर्शी व्यवस्था में निर्विवाद ऑक्शन के रूट से ब्लॉक एलॉटमेंट किए हैं और इस ऑक्शन की वजह से राज्यों के रेवेन्यू में काफी गुना की वृद्धि हुई है।
- मैं बताना चाहता हूँ, कुछ प्रदेश की सरकारों ने Geological Report हैंडोवर होने के बाद तुरंत खदानों का ऑक्शन किया है परंतु बहुत राज्यों में ऑक्शन होना बाकी है।
- इसके बावजूद भी गोल्ड, डायमंड, कॉपर, रॉक फास्फेट का पहली बार बड़ी मात्रा में ऑक्शन हुआ है।
- मुझे यह भी बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 गोल्ड ब्लॉक का ऑक्शन हो चुका है और बाल 12 ब्लॉक की अभी ऑक्शन की प्रक्रिया चल रही है।
- भारत गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। प्रतिवर्ष हम 800 से 900 टन गोल्ड का आयात करते हैं।
- कुछ दिनों पहले, एमपी गवर्नमेंट ने 51 blocks auction किया है, यह आज तक का एक साथ होने वाला सबसे बड़ा मिनरल ब्लॉक ऑक्शन है। इतना सब करने के बावजूद भी, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एक्सप्लोरेशन ज्यादा करना चाहिए। खास करके क्रिटिकल और

deep-seated मिनरल्स में हमें एक्सप्लोरेशन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि, दुनिया में वैश्विक परिस्थिति के कारण इसका Supply-chain assured नहीं है, बहुत रिस्की भी है।

- देश के विकास के लिए यह क्रिटिकल और deep-seated मिनरल्स बहुत आवश्यक है।
- हमको यह भी समझना होगा, deep-seated मिनरल्स जैसे गोल्ड डायमंड इत्यादि का एक्सप्लोरेशन बहुत महंगा और कठिन होता है।
- जो हम Surficial मिनरल्स बोलते हैं, उसकी तुलना में यह बहुत कठिन दायक है। इसी कारण से, यह सभी मिनरल हम इंपोर्ट करते हैं।
- आधुनिक जगत में, आधुनिक भारत निर्माण के लिए, यह मिनरल देश के लिए अनिवार्य है। हमें Net zero का अचीवमेंट करने के लिए यह अनिवार्य है।
- यह सब ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम MMDR Amendment Bill लाए हैं।

आज के दिन हम CL देते हैं, नहीं तो ML देते हैं, लेकिन यह माइनिंग करने के लिए पहले एक्सप्लोरेशन जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया हमारे देश में एक्सप्लोरेशन बहुत कम हो रहा है। 2014 से पहले सिर्फ 10% था अभी 30% है। Deep-seated और क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत इन्वेस्टमेंट और खर्चा होता है।

- इसलिए, इस Amendment की वजह से, जैसे हम CL और ML ऑक्शन करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए भी EL देंगे और वह भी ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ ऑक्शन द्वारा होगा।
- फुल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने के लिए और ऑप्शन करने के लिए आज के दिन में कोई प्रोविजन नहीं है।
- दुनिया में अगर एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि बहुत से देशों में जूनियर माइनर्स का कांसेप्ट है। There are 600 listed Junior Mining Companies in Australia which is geographically more vast than us. It has achieved an OGP of near 100%, with the help of exploration done by these Junior Mining Companies.

- Amendment के द्वारा यह जूनियर माइनस का कांसेप्ट हम ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रूट से हम जारी कर रहे हैं।
- इससे निजी क्षेत्र के लोग एक्सप्लोरेशन में रुचि लेंगे और नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। और यह जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसका डाटा पूरा स्टेट को देना पड़ेगा। डाटा देने के बाद 1 साल के अंदर ऑक्शन करना पड़ेगा। ऑक्शन से जो स्टेट को प्रीमियम मिलता है, इसमें जिस जूनियर एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाया है उनको रेवेन्यू शेयर देने का - प्रावधान है, यह रेवेन्यू शेयरिंग भी ट्रांसपेरेंट रूट से है।

This bill proposes that certain minerals (6 out of 12) be taken out from the list of atomic minerals specified in Part B of the 1st Schedule. लिथियम जैसा मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी Energy Transition and Net zero Emission टारगेट अचीव करने में मदद करेगा। साल 2022-23 में भारत ने 23 हजार करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया है। इसके डिमांड में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होने वाली है, 965% by 2050 की वृद्धि होगी ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहता है।

- भारत में भी Renewable Energy में, EV में, High-end Defence Equipment में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेमीकंडक्टर fab और बैटरी Gigafactory इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। यह सब के लिए Lithium जैसे क्रिटिकल मिनरल्स अनिवार्य है।
- आज के दिन में Lithium सहित Titanium, Beryl and Beryllium-bearing minerals, Niobium-Tantalum Zirconium एटॉमिक मिनरल की लिस्ट में है।
- इन मिनरल्स का बड़ी मात्रा में non-atomic एप्लीकेशन भी है। इसके साथ ही साथ यह मिनरल्स fissile भी नहीं है, radioactive nature के भी नहीं है।
- इन मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में इसलिए रखा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी इनका उपयोग energy से लेकर कई अन्य सेक्टर में भी होता है।

- एटॉमिक मिनिरल्स के लिस्ट में रहने के कारण इनका एक्सप्लोरेशन भी सीमित हुआ है, और माइनिंग भी सीमित ही हुई है।
- इसी कारण, इन 6 मिनिरल्स को एटॉमिक मिनिरल्स के लिस्ट से बाहर लाना बहुत ही अनिवार्य है और देश के हित में भी है और इसका उपयोग एटॉमिक से ज्यादा नॉनएटॉमिक में हो रहा है।
- कई माननीय सदस्यों ने इसके हैंडलिंग को लेकर चिंता व्यक्त की है। जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह मिनिरल्स fissile नहीं है और यह radioactive नेचर के हैं।
- I would also like to clarify that the rules already provide that if any atomic minerals occur in association with other non-atomic minerals the Department of Atomic Energy (DAE) has power to terminate such mining leases.
- There are sufficient safeguards in place if at all there are any atomic minerals present. Hence, removal of these minerals will not have an impact on national security and strategic interest. Rather, the proposal will encourage production of these minerals and their downstream industries including high-end electronics and defence manufacturing which will strengthen national security and contribute to Atmanirbhar Bharat.
- इस बिल में यह भी प्रावधान है कि एक नए Part D of 1st schedule को क्रिएट किया जाए। And in this part D, 18 critical Minerals and 6 minerals which have been removed from atomic minerals list are included, as mentioned in the bill. As there would be a huge demand in present and in future also it will continue to increase, exploration and production of these minerals is crucial.
- कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक एक भी क्रिटिकल मिनिरल ब्लॉक का auction नहीं किया है। कई प्रदेशों को GSI और MECL ने 160 से ज्यादा Geological Reports हैंड ओवर किए हैं। इसके बावजूद एक भी ऑक्शन नहीं हुआ है अब तक।

- कुछ प्रदेशों ने बहुत ही कम auctions किए हैं, कुल मिलाकर ना के बराबर ही हैं।
- As these critical minerals are indispensable for the growth of our economy, authorising the Central Government to auction concession for these critical minerals would increase the pace of auction and early production of the minerals.
- इसलिए इसमें यह भी प्रपोजल है कि इस critical मिनरल का auction करने का बोझ भारत सरकार उठाएगी। The responsibility of the auction will be borne by the Central Government.
- Even in case of conduct of auction by the Central Government, the mineral concession shall be granted to the selected bidders by the State Government only and the auction premium and other statutory payments shall accrue to the State Government.
- Including premium, all revenue will go to state governments only. Central Government will not take a single penny from this. We are here to only assist the state governments. इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि कि सर्व सहमति से यह बिल पारित करने की कृपा करें। Any ambiguity regarding the mining of Beach Sand minerals will be clarified in the rules being framed.

मिनरल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं इस सरकार से समर्थन का निवेदन करता हूँ, और इस बिल को सर्व सहमति से पारित करने का निवेदन करता हूँ।*

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2

Amendment of section 3

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 4,-

After

“licence granted”

insert

“to Public Sector Undertaking under the direct control and administration of Central Government or State Government”.

(1)

Page 2, line 10,-

After

“undertaken”

insert

“by Public Sector Undertaking under the direct control and administration of Central Government or State Government”.

(2)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

Clause 9

Insertion of new section 10BA

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 से 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 3, for lines 21 to 23,-

Substitute

“(3) The Central Government shall not modify the entries in the Seventh Schedule without obtaining the consent from all the State Governments.”.

(3)

Page 3, lines 24 and 25,-

Omit

“after obtaining the previous approval of the Central Government and” (4)

Page 3, lines 25 and 26,-

For

“Central Government”

substitute

“State Government” (5)

Page 3, line 28,-

<i>For</i>	“may”	
<i>substitute</i>	“shall not”	(6)

Page 3, lines 29 to 32,-

<i>Omit</i>	“within such period as may be fixed in consultation with the State Government, and in case the State Government does not notify the area within such period, the Central Government may, after the expiry of the period so fixed, notify the area for grant of exploration licence”.	(7)
-------------	--	-----

Page 3, *omit* lines 37 to 48 (8)

Page 4, *omit* lines 1 to 11 (9)

Page 4, line 12,-

<i>For</i>	“Central Government”	
<i>substitute</i>	“State Government”.	(10)

Page 4, line 43,-

<i>Omit</i>	“the Central Government or”.	(11)
-------------	------------------------------	------

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 15, 16, 18 से 21 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

Clause 20

Amendment of first schedule

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 6, for lines 37 to 39,-

Substitute

“Beach sand minerals and Beach sand containing titanium, ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zirconium, sillimanite.”. (12)

Page 7, for line 23,-

Substitute

“Beach sand not containing any of the minerals such as titanium, ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zirconium,

sillimanite.”. (13)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 21 Insertion of new seventh schedule

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 8, for line 20,-

<i>Substitute</i>	“Beach sand not containing any of the minerals such as titanium, ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zirconium, sillimanite.”. (14)
-------------------	--

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I rise to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आइटम 15 और 16 साथ-साथ लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

12.28 hrs

**NATIONAL NURSING AND MIDWIFERY
COMMISSION BILL, 2023
AND
NATIONAL DENTAL COMMISSION BILL, 2023**

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया):

महोदय, मैं प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूँ :

“कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन एक्ट एंड नर्सिंग कमीशन एक्ट दोनों साथ में जुड़े हुए विषय हैं ।...(व्यवधान) हम जानते हैं कि देश में हम नेशनल मेडिकल कमीशन लाये ।...(व्यवधान) नेशनल मेडिकल कमीशन से यही अनुभव हुआ है कि देश में एमबीबीएस यानी मेडिकल एजुकेशन सिस्टमाइज हुआ ।...(व्यवधान) उसमें जो कमियां थीं, वे दूर हुईं।...(व्यवधान) आज पारदर्शिता से देश में नए मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दी जाती है।...(व्यवधान)

अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है।...(व्यवधान) उस वक्त यह चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे ।...(व्यवधान) समय-समय पर पार्लियमेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है और दोनों एक्ट पुराने हो गए थे । ... (व्यवधान) 60-70 साल पुराने एक्ट को बदलना आवश्यक था ।... (व्यवधान) बदलते समय नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ । क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ । इंटरनेशनल मांग बढ़ी । इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा ।

उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दें। हम एक दूरस्थ सिस्टम के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन दें।... (व्यवधान)

दूसरा, वैसे ही डेंटल के बारे में है। डेंटल में पहले डेंटल इंडस्ट्री केवल एक ही शाखा थी । ... (व्यवधान) आज उसमें कई नई-नई शाखाएं जुड़ी हैं । देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़े हैं । ... (व्यवधान) समय के साथ बदलाव करना यह समय की मांग होती है। उस मांग को देखते हुए हम दो बिल्स लेकर आए हैं।... (व्यवधान) उसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने एवं अच्छी एजुकेशन मिले।... (व्यवधान) उसमें से आउटपुट के रूप में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स निकलेंगे, डेंटिस्ट डॉक्टर्स निकलेंगे, वे अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करें और दुनिया में भी प्रोवाइड करके हिन्दुस्तान का नाम बनाएं तथा देश की रिकवायरमेंट पूरी करें।... (व्यवधान) इस उद्देश्य के साथ ये दोनों बिल्स लाए गए हैं।... (व्यवधान) इन बिल्स के ऊपर सदन चर्चा करे और उनको पारित करे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए

प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 57 विधेयक के अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

... (व्यवधान)

SHRI MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की

स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 59 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

SHRI MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिये। कुछ और काम कर लेते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिये। आज प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस भी है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.34 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Monday, July 31, 2023/Sravana 9, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.